न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2023 / 164
सिविल प्रकरण संख्याः– 106 / 2023 तारीख रजू 01.12.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
..........आवेदक

बनाम

1. मुरारी लाल गुर्जर पुत्र मोती लाल गुर्जर (प्रोपराईटर) मैसर्स बालाजी किराना स्टोर, मैन रामफूल चौराहा, फलौदी क्वारी, तह. खण्डार सवाई माधोपुर। निवासी अम्बेडकर चौराहा, फलौदी क्वारी, तह. खण्डार, सवाई माधोपुर।
2. विशाल कुमार सूरी पुत्र पुरषोत्तम सूरी (प्रोपराईटर) मैसर्स भीमसेन बलराम फलौदी क्वारी, तह खण्डार, सवाईमाधोपुर। निवासी बालाजी मंदिर के पास, टोडरा फलौदी, तह. खण्डार, सवाई माधोपुर।
3. मैसर्स श्री राम ऑयल इण्डस्ट्रीज (निर्माता फर्म) अलीगढ, टोंक

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)/52 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 27 / 05 / 2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 25.02 2023 को समय दोपहर 01.15 पी.एम पर उक्त फर्म बालाजी किराना स्टोर, रामफूल चौराहा, फलौदी क्वारी, तह खण्डार, सवाई माधोपुर पर पहुंचा मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिससे अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। व्यक्ति ने अपना नाम मुरारी लाल गुर्जर पुत्र मोती लाल गुर्जर होना बताया एवं फर्म मालिक होना बताया। एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विकय हेतु Kacchi Ghani Mustard Oil (Goyal Fresh Brand) दुकान में रखा था। Kacchi Ghani Mustard Oil (Goyal Fresh Brand) में गुणवत्ता / मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 455 एमएल की 4 बोतल Kacchi Ghani Mustard Oil (Goyal Fresh Brand) खरीदकर उसकी कीमत 280 /-- रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान मोहित के हस्ताक्षर करवाये तथा तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 455 एमएल की 4 बोतल Kacchi Ghani Mustard Oil (Goyal Fresh Brand) को मूल ही लेकर 01–01 के चार नमूना

भाग तैयार कर तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं **H-2637** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक H-2637 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मुरारी लाल गुर्जर (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति मुरारी लाल गुर्जर को देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी।

आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2023/579–582 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/505/एक्ट/2023/563 दिनांक 03.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया **खाद्य पदार्थ** Kacchi Ghani Mustard Oil (Goyal Fresh Brand), Misbranded प्रकृति का होना पाया गया है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र कमांक एफएसएसए/2023/1170 दिनांक 30.11.23 के द्वारा आवेदक को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्डेड Kacchi Ghani Mustard Oil (Goyal Fresh Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 लगायत 2 की ओर से अधिवक्ता श्री कमल किशोर सैनी तथा अभियुक्त संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अनुज बेदी उपस्थित हुये। अभियुक्तगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रकरण का जवाब प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त संख्या 3 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

आवेदक ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ Kacchi Ghani Mustard Oil (Goyal Fresh Brand) मिसब्राण्ड प्रकृति का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 बालाजी किराना स्टोर रामफूल चौराहा फलोदी क्वारी तह. खण्डार के नाम से किराना स्टोर संचालित करता है एवं अप्रार्थी संख्या 2 मैसर्स भीमसेन बलराम के नाम से होलसेल की दुकान संचालित करता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की फर्म द्वारा कच्ची घाणी मस्टर्ड ऑयल (गोयल फ्रेश ब्राण्ड) सील शुदा कार्टून अप्रार्थी संख्या 3 से खरीदकर बेचान करता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा खुला तेल विक्रय नहीं किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो सीलबंद बोतलो का गोयल फ्रेश ब्राण्ड सरसो तेल का कार्टून दिनांक 24.02.2023 को अप्रार्थी संख्या 2 से खरीद किया गया था तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सील पैक बोतलों का कार्टून अप्रार्थी संख्या 3 से दिनांक 23.02.2023 को खरीद किया गया था। उक्त कच्ची घाणी सरसो तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त गोयल फ्रेश ब्राण्ड कच्ची घानी सरसो तेल का निर्माण नहीं किया जाता है बल्कि अप्रार्थी संख्या 3 मैसर्स श्रीराम ऑयल इण्डस्ट्रीज अलीगढ टोंक कच्ची घाणी सरसो तेल (गोयल फ्रेश ब्राण्ड) का निर्माता है। अन्त में अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया गया।

अभियुक्त संख्या 3 द्वारा बहस में तर्क दिया कि प्रकरण में केवल कम्पनी को पार्टी बनाया गया है किसी नोमिनी को पार्टी नहीं बनाया गया है। उक्त प्रकरण मिथ्याछाप का है उनके द्वारा निर्मित कच्ची घाणी सरसो तेल (गोयल फ्रेश ब्राण्ड) के नमूने में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है। नमूना के रेपर पर मैन्यूफेक्चरिंग डेट एवं एक्सपायरी डेट अंकित नहीं होने से उत्पाद मिथ्याछाप आया है। वास्तविकता में उक्त मैन्यूफेक्चरिंग डेट एवं एक्सपायरी डेट अंकित की गई थी किन्तु तेल की बोतले धूप आदि में रहने के कारण उक्त तिथियां मिट गई होंगी। अन्त में अभियुक्त संख्या 3 ने प्रकरण में कार्यवाही समाप्त कर प्रकरण ड्रॉप करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/505/एक्ट/2023/563 दिनांक 03.03.2023 के अनुसार विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zi)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन नंबर 4(7), 5(3)(b), 5(10)(a) and proviso of Regulation No. 5(3) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं

डिस्प्ले) रेगूलेशन, 2020 के उल्लघंन का दोषी माना गया है। जांच रिपोर्ट अनुसार नमूने के लेबल पर मैन्यूफेक्चरिंग डेट पढने योग्य नहीं है एवं एक्सपायरी डेट अंकित नहीं है तथा पोषण संबंधी जानकारी दी गई है, लेकिन प्रति सर्विंग recommended dietary allowance (RDA) में प्रतिशत योगदान, सोडियम की मात्रा, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ओमेगा–6 फैटी एसिड की मात्रा नमूने के लेबल पर नही दी गई है। और ना ही अभियुक्तगण द्वारा उक्तानुसार सूचनाएं नमूने के लेबल पर अंकित होने के संबंध में कोई प्रमाण पेश किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को **मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ** Kacchi Ghani Mustard Oil (Goyal Fresh Brand) का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 पर संयुक्त रूप से 15,000/–रू0 (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर